SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा-I)
ओडिशा, भुवनेश्वर
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
ODISHA, BHUBANESWAR

परिपत्र / Circular

विषय/ Subject: अनुभागीय कार्यों हेतु रजिस्टरों में हिंदी में प्रविष्टि किए जाने के संबंध में।
Regarding entries in the registers used in Section's work in Hindi.

उपर्युक्त विषय पर कार्यालय के सभी अनुभागों को सूचित किया जाता है कि राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों एवं मुख्यालय के निर्देशानुसार कार्यालय के अनुभागों में प्रयुक्त रजिस्टरों में प्रविष्टियां यथासंभव हिंदी में की जानी हैं।

As per the guidelines of Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India and the instructions of Headquarters' office, the entries in registers used in the sections of the office are to made in Hindi as far as possible.

अत: उपर्युक्त के आलोक में अनुरोध है कि कृपया वांछित कार्रवाई कर राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-1) को यथाशीघ्र अवगत करने का श्रम करें ताकि अनुपालन रिपोर्ट मुख्यालय को शीघ्र प्रेषित की जा सके।

Therefore, in view of the above, it is requested that kindly take the necessary action and intimate the Rajbhasha Section (Audit-1) accordingly so that the compliance report may be sent to the Headquarters in due time.

हस्ता/-
सहायक निदेशक (राजभाषा)
Assistant Director (Official Language)

ज्ञापन संख्या/ Memo No. हिंदी प्रकोष्ठ/मुख्यालय/38/2019-25/278 दिनांक/ Date: 24.04.2025

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि सादर अग्रेषित :-

1- सचिव, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I) ओडिशा, भुवनेश्वर/ The Secretary to PAG (Audit-I), Odisha Bhubaneswar
2- निजी सहायक, उप महालेखाकार, प्रशासन, ए.एम.जी. II/ V
Personal Asstt. to DAG, Admn, AMG II/ V
3- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. I/IV
Personal Asstt. to DAG, AMG I/IV
4- निजी सहायक, उप महालेखाकार, ए.एम.जी. III/
Personal Asstt. to DAG, AMG III
5- कल्याण अधिकरी/ Welfare Officer.
6- नियत्रंणाधिकारी / शाखा अधिकारी/ Branch Officer -

ए.एम.जी.-I / AMG-I	ए.एम.जी.-II / AMG-II	ए.एम.जी.-III / AMG-III	ए.एम.जी.-IV / AMG-IV	ए.एम.जी.-V AMG-V	ओ.एम. I OM-I
सम्पदा/ Estate	ओ.ई. O.E.	प्र0 एवं परीक्षा/ Training & Exam	प्रशासन / Admin.	विधिक/ Legal	रिपोर्ट/ Report
रिपोर्ट पी.ए.सी. Report PAC	ई.सी.पी.ए. ECPA	सचिवालय/ Secretariat	कल्याण / Welfare	डी.ए. एवं आर.सी/ DA&RC	ओ.एम. II OM-II
आई.टी.ए/ ITA					

7- सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, डी.ए. एवं आर.सी से अनुरोध है कि कृपया इस परिपत्र को कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
The Assistant Audit Officer i/c DA&RC is requested to kindly upload this circular to the office's website.

8- सूचना पट्ट /Notice Board

9- अतिरिक्त प्रति / Spare Copy.

भिरिराज
31/05/25

सहायक निदेशक (राजभाषा)
Assistant Director (Official Language)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली–110 124

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

सेवा में,

दिनांक / DATE 07.04.2025

राजभाषा अनुभाग (लेखापरीक्षा-I) / Rajbhasha Section (Audit-I)
सी.ए.जी डा.सं / CAG Dy. No. 131
दिनांक 24/04/2025

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा– प्रथम), ओड़ीशा
भुवनेश्वर
ओड़ीशा 751001

प्र.म.ले.(लेप-I)/सचिवालय/ डायरी सं. .... दिनांक...............
Pr. AG(Audit-I)/Sectt./Dy. No. Linked with Mail dy No. 52 Dt. 08/04/2025

विषय: राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित आपके कार्यालय का राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण दिनांक 07.03.2025 से 10.03.2025 (08.03.2025 शनिवार/ 09.03.2025 रविवार) तक मुख्यालय के निरीक्षण दल द्वारा किया गया था। निरीक्षण के निष्कर्षों को संलग्न प्रतिवेदन में दर्शाया गया है।

अतः उपरोक्त संदर्भ में आपसे अनुरोध है कि वांछित मदों पर मदवार कार्रवाई करके सम्बन्धित समर्थित दस्तावेज संलग्न करें तथा अद्यतन स्थिति निर्धारित प्रोफार्मा (संलग्न) में भरकर अनुपालन रिपोर्ट इस पत्र की प्राप्ति के एक माह के अंदर मुख्यालय को प्रेषित करें।

यह पत्र महानिदेशक (राजभाषा) जी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

DAG/Admn

भवदीय,

संलग्नक : यथोपरि

अनुराधा प्रभाकर
07/04/2025
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)

निरीक्षण प्रतिवेदन

राजभाषा अधिनियम 1963 एवं राजभाषा नियम 1976 के विभिन्न प्रावधानों, समय-समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों, निर्देशों के अनुपालन तथा वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति किए गए प्रयासों की समीक्षा हेतु **प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा – प्रथम), ओड़ीशा** के हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित निरीक्षण (01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि) सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली के राजभाषा अनुभाग से श्री अनुराग प्रभाकर, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं श्री राहुल, कनिष्ठ अनुवादक द्वारा दिनांक 07.03.2025 से 10.03.2025 (08.03.2025 शनिवार / 09.03.2025 रविवार) तक किया गया।

इस कार्यालय का संसदीय समिति द्वारा निरीक्षण नहीं किया गया है। प्रश्नावली में दर्शाई गई सूचना एवं उपलब्ध कराई गई फाइलों, सेवा पंजिकाओं एवं रजिस्टरों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कुछ कमियों की जांच करके उन्हें शुद्ध कराया गया और प्रश्नावली को दोबारा भरवाया गया। कार्यालय के निरीक्षण के दौरान कुल 09 परिच्छेदों में इन त्रुटियों को इंगित किया गया है जिसमें से 07 त्रुटियाँ वे हैं जिन्हें पिछले निरीक्षण (05-02-2021) में भी मुख्यालय के निरीक्षण दल द्वारा इंगित किया गया था।

कार्यालय द्वारा की गईं ऐसी सभी त्रुटियाँ निम्नलिखित हैं:

1. **मद संख्या 9 – (हिन्दी पुस्तकों पर किया गया व्यय)**

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी संकल्प संख्या 20012/01/2017 रा॰भा॰(नीति) दिनांक 31 मार्च 2017 की मद संख्या 52 में पारित माननीय राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार हिन्दी पुस्तकों की खरीद के लिए जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का बजट आवंटित है वहाँ कार्यालयों/पुस्तकालयों के लिए धनराशि में से जर्नल व संदर्भ साहित्य की खरीद किए जाने के बाद बची राशि का 50 प्रतिशत और जिन कार्यालयों में पुस्तकालय अनुदान का बजट आवंटित नहीं है वहाँ कार्यालयीन व्यय का न्यूनतम एक प्रतिशत हिन्दी पुस्तकों पर खर्च किया जाए।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यालय द्वारा वर्ष 2023 -24 में हिन्दी पुस्तकों की खरीद नियमानुसार नहीं की गई है ।

सुझाव : कार्यालय द्वारा पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय राजभाषा विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों के अनुरूप नहीं है। कृपया भविष्य में अधिकारियों /कर्मचारियों के बीच हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं हिन्दी के प्रति पठन एवं लेखन की अभिरूचि बढ़ाने के लिए हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर व्यय ऊपर वर्णित राजभाषा विभाग के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित करें।

पिछले निरीक्षण में स्थिति: पिछले निरीक्षण में यही स्थिति प्राप्त हुई थी।

2. मद संख्या 12 (ख) – कार्यालय की वेबसाइट [illegible] संख्या 12 (ख) में मांगी गई सूचना के उत्तर में कार्यालय द्वारा [illegible] कार्यालय की वेबसाइट आंशिक रूप से हिन्दी में है। प्रविष्टियों में अद्यतन किए जाने की तिथि नहीं बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि निरीक्षणाधीन अवधि के दौरान वेबसाइट अद्यतित नहीं हुई है। कार्यालय की वेबसाइट में दी गई कुछ सूचनाएँ अँग्रेजी में पाई गईं। उदाहरणार्थ कार्यालय की वेबसाइट में 'लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार, *बजट एवं खर्च*' शीर्षकों के अंतर्गत दी सूचनाएँ अँग्रेजी में दी गई हैं।

सुझाव: कार्यालय को सुझाव दिया जाता है कि राजभाषा विभाग के निर्देशों के अनुपालन में अपनी आधिकारिक वेबसाइट को शीघ्रातिशीघ्र द्विभाषी करे।

3. **मद संख्या 13 – हिन्दी पदों की जानकारी:**

कार्यालय में कनिष्ठ अनुवादक के एक पद की रिक्ति है जो कार्यालय द्वारा अपने एक कनिष्ठ अनुवादक की नियुक्ति महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के कार्यालय , हैदराबाद के भुवनेश्वर स्थित शाखा कार्यालय में किए जाने से उत्पन्न हुई है। महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के कार्यालय , हैदराबाद के भुवनेश्वर स्थित शाखा कार्यालय में यदि राजभाषा कर्मियों की आवश्यकता है तो शाखा कार्यालय, अपने कार्यालय में पदों की संस्वीकृत संख्या के अनुपात मे राजभाषा के उपरोक्त नियम की सीमा में, मुख्यालय से एक या अधिक राजभाषा कर्मियों की नियुक्ति हेतु स्वयं अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार कार्यालय द्वारा राजभाषा नियमों का उल्लंघन किया गया है।

सुझाव : कार्यालय से अनुरोध है कि सीएजी मुख्यालय को सूचित करते हुए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के कार्यालय , हैदराबाद के भुवनेश्वर स्थित शाखा कार्यालय में नियुक्त कनिष्ठ अनुवादक को वापस इसी कार्यालय में नियुक्त किया जाए।

पिछले निरीक्षण में स्थिति: पिछले निरीक्षण में यही स्थिति प्राप्त हुई थी।

4. **मद संख्या 14, 15 एवं 16 – हिन्दी के प्रशिक्षण हेतु शेष लिपिक / टाईपिस्ट, आशुलिपिक तथा डाटा एंट्री ऑपरेटर:**

कार्यालय द्वारा प्रश्नावली के उपरोक्त मदों के संबंध में प्रदान की गई सूचना को निम्नलिखित रूप से सारिणी बद्ध किया गया है:

क्रम संख्या	पदनाम	पदस्थापित कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या	प्रशिक्षण हेतु शेष कर्मचारियों की संख्या	कारण
1.	लिपिक / टाईपिस्ट	13	0	08	प्रशासनिक
2.	आशुलिपिक	03	01	02	
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	04	0	01	

कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि प्रशासनिक कारणों की वजह से इन कार्मिकों को प्रशिक्षण नहीं दिया जा सका। यह राजभाषा नियम का उल्लंघन है।

सुझाव: कार्यालय को यह सुझाव दिया जाता है कि इन कर्मियों को यथाशीघ्र प्रशिक्षण प्रदान करे।

5. **मद संख्या 17 एवं 18 (हिन्दी के प्रशिक्षण हेतु शेष अधिकारी / कर्मचारी) :**

कार्यालय ने प्रश्नावली के उपरोक्त मदों के संबंध में यह सूचना प्रदान की थी कि सभी पदस्थापित 257 अधिकारियों में 67 को प्रवीणता एवं 150 को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है तथा 202 पदस्थापित कर्मचारियों में से 24 को हिन्दी में प्रवीणता एवं 129 कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है ।यह भी बताया गया कि वर्तमान में 190 अधिकारियों एवं 176 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाना शेष है। यह कार्यालय 'ग' क्षेत्र में स्थित है एवं कार्यालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या कार्यरत है। इस संख्या बल द्वारा राजभाषा के सरकारी कार्य में कार्यान्वयन को अच्छी तरह से संपादित एवं उसे बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रशिक्षण राजभाषा के प्रचार प्रसार में एक बहुत आवश्यक भूमिका अदा करता है।

सुझाव: कार्यालय को यह सुझाव दिया जाता है कि इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ।

पिछले निरीक्षण में स्थिति: पिछले निरीक्षण में यही स्थिति प्राप्त हुई थी।

6. **मद संख्या 20 – नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक:**

राजभाषा विभाग के दिनांक 22.11.1976 के का.ज्ञा.सं. 1/14011/12/76-रा.भा.(का-1) के अनुसार देश के उन सभी नगरों में जहां केंद्र सरकार के 10 या इससे अधिक कार्यालय हों, वहां नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) का गठन किया जा सकता है। नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय/उपक्रम/बैंक आदि अनिवार्य रूप से इस समिति के सदस्य होते हैं। उनके वरिष्ठतम अधिकारियों(प्रशासनिक प्रधानों) से यह अपेक्षा की जाती है कि वे समिति की बैठकों में नियमित रूप से भाग लें।

जाँच के दौरान यह पाया गया कि नराकास की 11/08/2023 को आयोजित बैठक में उपमहालेखाकार द्वारा बैठक में भाग लिया गया। इस प्रकार कार्यालय द्वारा राजभाषा नियमों का अनुपालन नहीं किया गया।

सुझाव: *कार्यालय को सुझाव दिया जाता है कि* उपरोक्त कार्यालय ज्ञापन में उल्लिखित आदेश का अनुपालन करते हुए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों (नराकास) की प्रत्येक बैठक में कार्यालय के अध्यक्ष अपनी भागीदारी व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित करने का प्रयास करें।

7. मद संख्या 23: (कार्यालय के सभी सूचना पट्ट [illegible]
राजभाषा विभाग के नियम के अंतर्गत केंद्र सरकार के 'ख' क्षेत्र में स्थित प्रत्येक कार्यालय के लिए यह आवश्यक एवं अनिवार्य है कि कार्यालय के सभी सूचना / नाम पट्ट द्विभाषी/त्रिभाषी हों। जांच करने पर यह पाया गया कि कार्यालय के 02 नाम पट्ट केवल अँग्रेजी मे हैं। यह राजभाषा नियमों का उल्लंघन है।

सुझाव: कार्यालय को यह सुझाव दिया जाता है कि वह शीघ्रातिशीघ्र अपने सभी सूचना / नाम पट्ट द्विभाषी/ त्रिभाषी कर लें ।

8. **मद संख्या 32: (सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां):** राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या 12024/2/92–रा भा (ख-2) दिनांक 06/04/1992 की क्रमांक संख्या 8 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिन्दी में की जाएँ।

कार्यालय में विद्यमान अलग-अलग संवर्गों की सेवा पुस्तिकाओं को जांचने पर पाया गया कि उनमें जीवनवृत की प्रविष्टियां अंग्रेज़ी में हैं।

सुझाव: कार्यालय को यह सुझाव दिया जाता है कि सभी सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां यथासंभव हिन्दी में करना सुनिश्चित करें।

पिछले निरीक्षण में स्थिति: पिछले निरीक्षण में यही स्थिति प्राप्त हुई थी।

9. **मद संख्या 33: (विभिन्न अनुभागों में उपलब्ध रजिस्टरों में की जा रही प्रविष्टि)** – कार्यालय में उपलब्ध रजिस्टरों की जांच करने से ज्ञात हुआ कि उनमे से कुछ रजिस्टरों में अँग्रेजी में प्रविष्टियाँ की गई हैं। यह राजभाषा नियमों का उल्लंघन है

सुझाव: कार्यालय को सुझाव दिया जाता है कि कार्यालय उपलब्ध सभी रजिस्टरों में यथासंभव हिन्दी में प्रविष्टियाँ करे।

पिछले निरीक्षण में स्थिति: पिछले निरीक्षण में यही स्थिति प्राप्त हुई थी।

उपरोक्त सभी मदों पर आवश्यक कार्रवाई करके मुख्यालय को सूचित करें।

अनुराग प्रभाकर
07/04/2025

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)